



# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, करवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : [www.rauojodhpur.org](http://www.rauojodhpur.org), E-mail- rau\_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/

दिनांक:

- प्रो. राधेश्याम शर्मा, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
- प्रो. संजीव शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
- प्रो. सोमनाथ गांगुली, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं प्राचार्य, श्री मांगीलाल निर्वाण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, एम.एन. हॉस्पिटल केम्पास, डॉ. कनीसिंह स्टेडियम के पास, बीकानेर 334001
- प्रो. अद्बुल शकूर खान, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
- डॉ. महेश दीक्षित, चेयरमैन, अध्ययन मण्डल (आयुर्वेद), म.मो.मा. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
- प्रो. एस. शफीक अहमद नकवी, चेयरमैन यूनानी अध्ययन मण्डल एवं विभागाध्यक्ष, Ilmul Adviya विभाग, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, जयपुर
- प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ल, प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
- प्रो. ओम प्रकाश दवे, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, शत्यतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
- डॉ. परमानन्द उपाध्याय, एसो.प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, अगदतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
- डॉ. पुनीता शर्मा, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
- डॉ. ओम प्रकाश शर्मा, D-45, मालवीय नगर बाई पास, सिद्धार्थ नगर, गरोट रोड़, जयपुर
- डॉ. कमलेश कुमार शर्मा, एसो. प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, स्वस्थवृत्त विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
- श्री अतुल बल रत्न, कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विषय :- डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 28 मार्च 2018 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का उपवेशन, जो दिनांक 28 मार्च 2018 को प्रातः 12.30 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खण्ड, नागौर रोड़, जोधपुर में आयोजित किया गया था, में लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

संलग्न :- उपर्युक्त कार्यवाही विवरण।

कुलसचिव

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्  
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विद्या परिषद् का उपवेशन

28 मार्च 2018

कार्यवाही विवरण



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर  
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर



# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : [www.raujodhpur.org](http://www.raujodhpur.org) , E-mail- rau\_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/

दिनांक:

## कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का उपवेशन दिनांक 28.03.2018 को माननीय कुलपति महोदय प्रो. डॉ. राधेश्याम शर्मा की अध्यक्षता में प्रातः 12.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर, कडवड़, नागौर रोड़, जोधपुर में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. प्रो. राधेश्याम शर्मा, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. सोमनाथ गांगुली, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं प्राचार्य, श्री मांगीलाल निर्वाण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, एम.एन. हॉस्पिटल केम्पास, डॉ. कर्नीसिंह स्टेडियम के पास, बीकानेर
3. प्रो. अब्दुल शकूर खान, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
4. डॉ. महेश दीक्षित, चेयरमैन, अध्ययन मण्डल (आयुर्वेद), मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
5. प्रो. एस. शफीक अहमद नकवी, चेयरमैन यूनानी अध्ययन मण्डल एवं विभागाध्यक्ष, Ilmul Adviya विभाग, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, जयपुर
6. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ल, प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
7. प्रो. ओम प्रकाश दवे, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, शल्यतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
8. डॉ. परमानन्द उपाध्याय, एसो.प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, अगदतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
9. डॉ. पुनीता शर्मा, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
10. डॉ. ओम प्रकाश शर्मा, D-45, मालवीय नगर बाई पास, सिद्धार्थ नगर, गरोट रोड़, जयपुर
11. डॉ. कमलेश कुमार शर्मा, एसो. प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, स्वस्थवृत्त विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
12. श्री अतुल बल रत्न, कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए:-
1. प्रो. संजीव शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

सर्वप्रथम विद्या परिषद् के दिनांक **28 मार्च 2018** को आयोजित उपवेशन में पधारने वाले उपस्थित सदस्यों का माननीय कुलपति महोदय के स्वागतोपरान्त एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
1.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक <b>12 सितम्बर 2017</b> के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक <b>12 सितम्बर 2017</b> के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
2.	विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त नये एवं पुराने स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेद/यूनानी/ होम्योपैथी/योग महाविद्यालय एवं आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु सत्र <b>2018-19</b> के निरीक्षणकों की नियुक्ति पर विचार।	विद्या परिषद् द्वारा सत्र <b>2018-19</b> की सम्बद्धता हेतु नये महाविद्यालयों हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र ( <b>NOC</b> ) प्राप्त होने पर निरीक्षकों की नियुक्ति एवं निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आयुष विभाग को फार्म-5 भिजवाने एवं पुराने स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी/योग महाविद्यालय एवं आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के निरीक्षण के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति एवं निरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर सम्बद्धता जारी करने हेतु सर्वसम्मति से माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	बी.ए.एम.एस.(आयुर्वेदाचार्य) के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में परिवर्तित विषयों के संबंध में पुष्टि के क्रम में।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक <b>07 नवम्बर 2016</b> से लागू माना जावे तथा पूर्व सत्रों में प्रवेशित छात्रों पर लागू नहीं माने जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
4.	बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) में <b>25 से 30</b> सीटें करने की पुष्टि के क्रम में।	सर्वसम्मति से बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) में <b>25 से 30</b> सीटें करने की पुष्टि की गई एवं सत्र <b>2018-19</b> से बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) में <b>50</b> सीटें पर प्रवेश की स्वीकृति दी गई।

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
5.	उपचार आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर एवं श्रीराम आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बगराना कानोता, जयपुर द्वारा सत्र 2014-15 से सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं कराने के क्रम में।	विद्या परिषद् द्वारा अन्तिम नोटिस देकर प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड में रखने के पश्चात् राज्य सरकार को भिजवाए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
6.	भारत में विद्यालयों के हाईस्कूल डिप्लोमा कार्यक्रम की पुष्टि, नॉर्थवेस्ट एक्रेडिटेशन कमीशन (NWAC), अमरीका द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पात्र योग्यता के रूप में।	सर्वसम्मति से मान्यता देने हेतु अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात् NEET को लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

## अनुपूरक एजेण्डा

1.	सचिव, निजी आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र संचालन समिति, जयपुर के पत्र क्रमांक 07-08/2018 दिनांक 15.02.18 में डी.ए.एन. एण्ड पी. में प्रवेश के समय आयु 31 दिसम्बर को 17 वर्ष करवाने बाबत पत्र पर विचार।	भारतीय चिकित्स केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में सम्बन्धित वर्ष के लिए न्यूनतम आयु 31 दिसम्बर को 17 वर्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।
2.	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-20-1-ड के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की वित्त एवं लेखा समिति में विद्या परिषद् से एक सदस्य के मनोनयन पर विचार।	विद्या परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रो. ओम प्रकाश दवे, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, शत्यतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर को विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-20-1-ड के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की वित्त एवं लेखा समिति का एक वर्ष के लिए सदस्य मनोनीत किया गया।
3.	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम अन्तर्गत आन्तरिक परीक्षा के आयोजन के क्रम में।	सर्वसम्मति से समिति गठित की गई :- 1. प्रो. संजीव शर्मा, जयपुर अध्यक्ष 2. प्रो. कमलेश कुमार शर्मा, जयपुर सदस्य 3. प्रो. महेश दीक्षित, उदयपुर सदस्य 4. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ला, जोधपुर सदस्य सचिव

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
4.	स्नातकोत्तर छात्रों को गाईड आवंटित बाबत प्राप्त हुआ, उसमें छात्रों के अध्यापन हेतु पर्याप्त शिक्षक नियमित रूप से नियुक्त होने के सन्दर्भ में विचार।	प्राप्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति जारी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
5.	सत्र 2014-15 व 2015-16 के आठ पीएच.डी. अध्येता/अध्येत्री को विशिष्ट शैक्षणिक अवकाश स्वीकृत करने की पुष्टि बाबत।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
6.	पीएच.डी. (आयुर्वेद) के अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने के प्रस्तावों का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
7.	गोपनीय शाखा द्वारा बी.ए.एम.एस. परीक्षा नियम बैच-2013 से पुनः संशोधन करने हेतु विचार।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
8.	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र निर्धारण, परीक्षा पूर्व अवकाश ( <b>Preparation Leave</b> ) एवं परीक्षा फार्म से सम्बन्धित विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :- <ol style="list-style-type: none"> <li>परीक्षा फार्म की अन्तिम तिथि परीक्षा से एक माह पूर्व होगी।</li> <li>परीक्षा पूर्व अवकाश-परीक्षा से दो सप्ताह पूर्व से होगा।</li> </ol> शेष सर्वसम्मति से अनुमोदित।
9.	सर्वसम्मति से यह भी प्रस्तावित हुआ कि बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेट्रिक स्तर पर उद्दू विषय की अनिवार्यता को हटाकर <b>10+2</b> विज्ञान वर्ग विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित करवाकर राज्य सरकार एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली को भेजवाए जाने का निर्णय लिया जावे।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।